

गांव प्रशासन (नियम 26)

अज्ञात जमादार

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

सुजोत सिंह, P/O 45 NP

बनाम

सरकार

10 मी मुकदमा 136 एल और एक

नम्बर

104 मिन 2022

जी सी एम एस आईडी 2022/

311

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर

अज्ञात जमादार

हुकम की कार्यवाही

जाशिय

25/05/2022

तहसीलदार मुजब / नायब तहसीलदार  
रायसिंहनगर के चक नं. मुजब / पगासत्र / 2022 / 201  
दिनांक 25/5/2022 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग  
अधिवेशन-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत  
में प्रार्थी के नाम चक 45 NP की जमाबंदी सम्बत  
2015-16 के खाता सं 86 में

सुजोत सिंह 5/2 चक

के स्थान पर सुजोत सिंह 5/10 चक

की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प  
कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार  
दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति  
जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब  
तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंसा  
के आधार पर वाके चक 45 NP तहसील  
रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत 2015-16  
के खाता सं 86 में

सुजोत सिंह 5/2 चक

के स्थान पर

सुजोत सिंह 5/10 चक

की दुरुस्ती करने  
के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदरतूर रहेगा। इसी  
अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय  
का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो।  
पत्रावली फाँसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

कैम्प 45 NP